न्यायालय उपजिलाधिकारी करछना, इलाहाबाद

वाद संख्या 25 वर्ष 2009–10 अन्तर्गत धारा 143 ज0वि0अधि0

मजा धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद

श्रीकृष्ण विद्यालय समिति बनाम गॉवसभा

प्रस्तुतवाद श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र स्व0 नन्द किशोर सिंह निवासी–99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, तहसील सदर, इलाहाबाद ने गॉवसभा धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद जरिये प्रधान उक्त गॉवसभा को प्रतिवादी बनाते हुये ज0वि0अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि मौजा धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद स्थित आराजी संख्या 63 रकबा 0.2880हे0 लगान 60ख का संक्रमणीय भूमिधर मालिक व काबिज है। यह कि उक्त भूखण्ड वर्तमान समय में कृषि कार्य बागवानी, कुक्कुटपालन से भिन्न प्रयोजनार्थ उपयोग में लायी जा रही है। यह कि प्रश्नगत भूखण्ड वर्तमान समय में पूर्णरूपेण अकृषिक भूमि के प्रयोजन में है। यह कि उक्त भूखण्ड के भूमि पर बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है। उक्त भूखण्ड गैर कृषि प्रयोजन में है जिसे अकृषिक घोषित कर राजस्व अभिलेख दुरूस्त कराया जाना अति आवश्यक है। अंत में याचना किया है कि उक्त आराजी संख्या 63 रकबा 0.2880हे0 लगान 60ख को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित करने की कृपा करें और तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में अंकित कराया जावे। साथ में मौजा धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1408 लगायत 1413 फसली तथा बैनामा की छायाप्रति दाखिल किया है, जो संलग्न पत्रावली है।

प्रकरण की स्थलीय एवं अभिलेखीय जॉच तहसीलदार करछना से करायी गयी। क्षेत्रीय लेखपाल ने अपनी जॉच आख्या दिनांक 25.10.2009 में उल्लिखित किया है कि श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद भूमि स्थित ग्राम धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की आराजी नम्बर 63 रकबा 0.2880 लगान मु0 4.85रू0 का संक्रमणीय भूमिधर है तथा उपरोक्त आराजी पर उपरोक्त समिति की बाउन्ड्रीवाल बनी हुयी है। उपरोक्त प्लाट पर कृषि कार्य, पशुपालन, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन का कार्य नहीं किया जाता है। अतः भूमि स्थित ग्राम धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की भूमि स्थित गाटा नम्बर 63 रकबा 0.2880हे0 लगान 4.85रू0 श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद को लगान मुक्त करते हुये अकृषिक घोषित किये जाने हेतु रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है। तहसीलदार करछना ने अपनी आख्या दिनांक 18.11.2009 में उल्लिखित किया है कि आवेदक के प्रार्थनापत्र पर स्थलीय जॉच की गयी। हल्का लेखपाल की जॉच आख्या से सहमत। अतः आवेदक के पक्ष में आराजी स ख्या 63 रकबा 0.2880हे0 स्थित ग्राम धनुहॉ परगना अरैल तहसील करछना को अकृषिक घोषित करने की संस्तुति की जाती है। साथ में नियत प्रारू॰ पर भी आख्या दी गयी है, जो संलग्न पत्रावली है।

क्रमश'...........2

Scanned with CamScanner

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम धनुहॉ ग्राम धनुहॉ परग अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की कम्प्यूटर खतौनी वर्ष 1408 लगायत 1413 फसली खाता संख्या 00077 आराजी नम्बर 63 रकबा 0.2880हे0 लगान मु. 4.85रू0 पर श्रीकृष्ण विद्यालय समिति, 99बी/8सी मोंहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद द्वारा प्रबंधक भान सिंह पुत्र नन्द किशोर सिंह निवासी 99बी/8सी मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद का नाम बतौर सहसंक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। संलग्न बैनामें की छाया प्रति से स्पष्ट है कि उक्त आराजी नम्बर 63 रकबा 0.2880हे0 को प्रार्थी/वादी द्वारा जरिये पंजीकृत बैनामा क्रय किया गया है। क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसीलदार करछना ने अपनी उक्त आख्या में स्पष्ट किया है कि उक्त गाटा संख्या 63 रकबा 0. 2880हे0 में कृषि कार्य, बागवानी, मत्स्यपालन, कुक्कुटपालन आदि नहीं किया जा रहा है। मौके पर उपरोक्त आराजी नम्बर पर उपरोक्त समिति की बाउण्ड्री बनी हुयी है तथा उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुये अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। साथ में नियत प्रारूप पर भी आख्या दी गयी है जो संलग्न पत्रावली है। ऐसी स्थिति में उक्त भूखण्ड को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोशित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः क्षेत्रीय लेखपाल तथा तहसील करछना की आख्या के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम धनुहॉ पगरना अरैल तहसील करछना जिला इलाहाबाद की खतौनी वर्ष 1408–1413 फसली के खाता संख्या 00077 आराजी संख्या 63 रकबा 0.2880हे0 को आवेदक के पक्ष में लगान मुक्त करते हुए अकृषिक घोषित किया जाता है। शेष प्रविष्टियॉ यथावत बनी रहेंगी। तदनुसार परवाना अमल दरामद जारी हो। आदेश की प्रमाणित प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाय। वाद आवष्यक कार्यवाही पत्रावली राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांकः 23.11.2009

(पुष्कर श्रीवास्तव)
उप जिलाधिकारी
करछना, इलाहाबाद।

Scanned with CamScanner

आदेश पत्रक

न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील :करछना
वाद संख्या :-01147/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201902030501147
श्री कृष्ण विदयालय समिति बनाम उत्तर प्रदेश सरकार
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्री कृष्ण विद्यालय समिति पता 99बी/8सी,मोहिले नगर अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज जरिए प्रबंधक/सचिव,भान सिंह पुत्र स्व0 नन्द किशोर सिंह नि0 99/8सी,पूरा दलेल अल्लापुर शहर व जिला,प्रयागराज द्वारा इस कथन के साथ योजित किया गया है कि वादी मौजा धनुहों तहसील करछना,प्रयागराज स्थित आराजी संख्या 62 के जुज रकबा 0.1295हे. का संक्रमणीय भूमिधर काबिज दखील है,जिसका आवासीय रूप में अकृषिक उपयोग किया जा रहा है। अतः आराजी निजाई को अकृषिक घोषित किया जाए। वादी द्वारा उद्धरण खतौनी सन 1426–1431 फ0, की प्रति व स्थल का फोटोग्राफ, व खसरा वर्ष 1359फ0 की प्रति व अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क के रूप में सरकारी खजाने में जमा की गयी धनराशि मुबलिग 33,000/रू0 के चालान संख्या 16 दिनांक 11.3.2019 की प्रति व न्याय शुल्क के रूप में मु. 33,000/रू0 का स्टाम्प दाखिल किया गया है।

हल्का लेखपाल,राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार करछना की जॉच रिपोर्ट सहित पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त होने पर वाद पंजीकृत होकर पत्रावली प्रस्तुत हुई। हल्का लेखपाल द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 02.3.2019 में उल्लिखित किया गया है कि राजस्व ग्राम धनुहों की आराजी संख्या 62 के क्षेत्रफल 0.166 हे. में से रकबा 0.1245हे. बैनामा द्वारा श्रीकृष्ण विद्यालय समिति के पक्ष में दाखिल खारिज न्यायालय वाद संख्या 2010702323057504 दिनांक 02.3.2019 के द्वारा हुआ है। उक्त भूमि में कृषि कमार्य नहीं हो रहा है। बाउण्ड्रीवाल से घिरा हुआ है। विद्यालय का कब्जा दखल है। भूमि एन0जेड0ए0 या तालाब की नहीं हे। मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन,आदि का कार्य नहीं हो रहा है। अस्तु राजस्व ग्राम धनुहों की आराजी संख्या 62 का क्षेत्रफल 0.1245 अकृषिक किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित है। राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट दिनांक 08.3.2019 में हल्का लेखपाल की जॉच आख्या को सत्यापित करते हुए उल्लिखित किया गया है कि ग्राम धनुहा की आराजी संख्या 62 का जुज रकबा 0.1245हे. भूमि अकृषिक घोषित किए जाने हेतु रिपोर्ट प्रेषित है। नायब तहसीलदार द्वारा हल्का लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक की उक्त जॉच आख्या को अग्रसारित किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का सम्यक परिशीलन किया। उद्धरण खतौनी सन 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 00071 के गाटा संख्या 62 रकबा 0.1660हे.पर आवेदक श्री कृष्ण विद्यालय समिति पता 99बी/8सी,मोहिले नगर अल्लापुर शहर व जिला प्रयागराज जरिए प्रबंधक/सचिव,भान सिंह पुत्र स्व0 नन्द किशोर सिंह नि0 99/8सी,पूरा दलेल अल्लापुर शहर व जिला,प्रयागराज का नाम बतौर सह संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। हल्का लेखपाल, राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार करछना द्वारा अपनी जॉच रिपोर्ट में उक्त वादग्रस्त भूखण्ड. के जुज रकबा 0.1245हे. को अकृषिक होना बताया गया है। स्थल के फोटोग्राफ से भी स्पष्ट है कि आराजी निजाई अकृषिक है। आवेदक द्वारा नियमानुसार अकृषिक भूमि उद्घोषणा शुल्क एवं न्याय शुल्क अदा किया गया है। ऐसी स्थिति में मौजा धनुहा स्थित उक्त वादग्रस्त आराजी सं. 62 के जुज रकबा 0.1245हे. को अकृषिक घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः हल्का लेखपाल,राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार करछना की जॉच रिपोर्ट के आधार पर मौजा धनुहों परगना अरैल,तहसील करछना,प्रयागराज की खतौनी सन 1426–1431 फ0 के खाता संख्या 00071. के गाटा संख्या 62 रकबा 0.1660हे. के जुज रकबा 0.1245हे. को अकृषिक एवं लगानमुक्त घोषित किया जाता है। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की प्रति उपनिबंधक करछना को भेजी जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

up.nic.in/.../Print_Advetise_Details.aspx

03/19

(सत्यप्रिया)
उप जिलाधिकारी,करछना
प्रयागराज

Scanned with CamScanner